

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,  
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. —56ए/ 16  
संस्थित दिनांक — 22.01.2015

1. राघवेन्द शरण पुत्र स्वर्गीय सद्गुरुशरण सक्सेना आयु 59 साल  
निवासी चंदेरी निवासी हाल निवासी विध्याचल कालोनी,  
केन्ट गुना म0प्र0 ..... वादी

विरुद्ध

1. सुमत कुमार पुत्र प्रेमचन्द जैन आयु 56 साल,  
पेशा दुकानदारी निवासी हाटकापुरा, तहसील चन्देरी,  
जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश  
2. अशोक कुमार पुत्र प्रेमचन्द जैन आयु 51 साल,  
पेशा दुकानदारी निवासी हाटका पुरा तहसील चंदेरी,  
जिला अशोकनगर म0प्र0 ..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 31.07.2017 को पारित ::

- 01— यह वाद मुंगावली राजघाट रोड चंदेरी स्थित भवन क्रमांक—28 में स्थित तीन दुकान जिन्हें वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में अ,ब,स,द—प,फ,भ,म एवं त,थ,द,ध अक्षरों से दर्शाया गया है तथा जिसे निर्णय के आगे चरणों में विवादित दुकानों के नाम से संबोधित किया जा रहा है, का प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 से रिक्त अधिपत्य दिलाया जाकर प्रतिवादी क्रमांक—1 से दुकान अ,ब,स,द—प,फ,भ,म का 1500/— रुपये प्रतिमाह की दर से एवं प्रतिवादी क्रमांक—2 से दुकान त,थ,द,ध का 1000/— रुपये प्रतिमाह की दर से जनवरी 2014 से रिक्त अधिपत्य प्राप्त होने तक किराया दिलाये जाने की सहायता चाही है।
- 02— दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित भवन क्रमांक 28 के स्वामी वादीगण हैं। उक्त मकान के कुछ भाग निवास हेतु उपयोग आता है तथा कुछ भाग में दुकानें हैं। विवादित दुकानें भी इसी मकान का भाग हैं। प्रतिवादीगण के वादीगण से अच्छे संबंध थे तथा वह पूर्व में कई

बार लिखित किरायेनामा से एवं मौखिक रूप में वादीगण से दुकानें किराये पर लेकर खाली कर चुके हैं। जनवरी 2014 में वादी ने विश्वास करके प्रतिवादी क्रमांक-1 को नक्शों में अ,ब,स,द एवं त,थ,द,ध अक्षरों से चिह्नित दुकान क्रमशः 500/— रुपये एवं 1000/— रुपये मासिक किराये पर एवं प्रतिवादी क्रमांक-2 को प,फ,भ,म अक्षरों से चिह्नित दुकान 1000/— रुपये मासिक किराये मौखिक रूप से दी थी और प्रतिवादीगण ने कब्जा प्राप्त किया था। वादी विद्युत मण्डल में सर्विस करता है और वह सेवा निवृत्त हो रहा है इसलिए उसे स्वयं के लिये दुकानों की आवश्यकता है।

03— वादीगण के अनुसार कई बार निवेदन करने के बाद भी प्रतिवादीगण के मन बाध्यांति आ जाने के कारण न तो जनकारी 2014 से किराया दिया और न ही दुकान खाली कर रहे तथा बिना अनुमति के दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिनांक 05.01.2015 को प्रतिवादी क्रमांक-1 को दुकानों की तोड़फोड़ के संबंध में पूछने पर प्रतिवादी क्रमांक-1 ने उन्हें धमकी दी कि वह दुकानों का पक्का निर्माण कर रहे हैं जिसकी वादी ने चंदेरी थाने में रिपोर्ट भी की। वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादीगण को सूचना पत्र भी दिया था जिसका प्रतिवादी क्रमांक-1 के असत्य जबाव दिया तथा प्रतिवादी क्रमांक-2 के द्वारा सूचना पत्र लेने से इन्कार किया गया। दिनांक 05.01.2015 को दुकानों में तोड़फोड़ करने के कारण वादी गण को वाद कारण उत्पन्न हुआ, इसके पश्चात् वादीगण ने वाद मूल्य बकाया किराया राशि 30,000/— रुपये पर निर्धारित कर 3600/— न्यायशुल्क के साथ यह दावा निर्णय के चरण क्रमांक-1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया।

04— प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने दावे के अभिवचनों को अस्वीकार किया हैं तथा उनका जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने भवन क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। भवन क्रमांक-25 नगरपालिका रजिस्ट्रार में संगीता पत्नि जीवन कुमार के नाम से दर्ज है। वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध मिथ्या वाद संस्थित कर शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक-459 एवं रक्बा-0.159 हैक्टेयर को हड़पना चाहते हैं। वादी के द्वारा शासकीय स्थित प्रतिवादीगण की दुकानों को छलपूर्वक अपने मानचित्र में दर्शाया हैं। प्रतिवादीगण ने वादी तथा उसके पिता से कभी भी दुकान किराये पर नहीं ली। वादी तथा वादी के परिजन प्रतिवादी के कब्जों की शासकीय भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर उसे हड़पना चाहते हैं। सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर शासकीय भूमि में प्रतिवादी क्रमांक-1 की 16 बाये 20 अर्थात् 320 वर्गफीट पर आटा चक्की लगी है। 12 बाये 21 अर्थात् 252 वर्गफीट पर गोदाम तथा 12 बाये 12 अर्थात् 144 वर्गफीट पर किराने की दुकान बनी हैं जिस पर प्रतिवादी दिनांक 01.10.1975 से बिना रोकटोस शांतिपूर्वक काबिज है प्रतिवादीगण के पिता 60 साल पहले नजूल आबाजी की भूमि पर दुकानें बन वायी थी जिस पर उनका

अधिपत्य 20 साल रहा तथा उसके बाद से प्रतिवादी क्रमांक-1 चालीस साल से काबिज है।

05— वादग्रस्त दुकानों में प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 नाम से विद्युत कनेक्शन हैं। वादीगण ने अन्य व्यक्तियों से मिलकर फर्जी किराया नामा तैयार कर लिया है तथा नगरपालिका में फर्जी नक्शा प्रस्तुत कर शासकीय भूमि पर स्थित दुकानों को अपने भवन में सम्मिलित करा लिया है। वादीगण का वाद ग्रस्त दुकानों पर किसी प्रकार कोई स्वत्व व स्वामित्व व अधिपत्य नहीं हैं। दिनांक-05.01.15 को वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादी के द्वारा वाद का गलत मूल्यांकन कर व्यर्थ न्यायशुल्क अदा किया था। मुख्तारनाम पर उचित स्टाम्प शुल्क चसपा नहीं है जिसके के आधार पर वादी को अन्य हिस्सेदारों के नाम से वाद संस्थित किये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादीगण को मध्यप्रदेश शासन के आवश्यक पक्षकार बनाना था तथा धारा 80 सीपीसी के नियम का पालन करना था, जो कि वादीगण के द्वारा नहीं किया गया। अतः उपरोक्त आधारों पर वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

06— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी नगर पालिका सीमा चंदेरी के अंतर्गत राजघाट रोड चंदेरी में स्थित भवन क्रमांक 25, नया भवन क्रमांक 28 की दुकानें जिन्हें वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अ,ब,स,द तथा त,थ,द,ध के रूप में दर्शाया गया, का रिक्ता आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या वादी उक्त वाद ग्रस्त दुकानों का प्रतिवादी क्रमांक 1 से जनकारी 2014 के कब्जा प्राप्त होने के दिनांक तक प्रतिवादी क्रमांक 1 से 1500/- प्रतिमाह के हिसाब से राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।

3.	क्या वादी वादसंलग्न मानचित्र में प,फ,भ,म भाग का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक 2 से प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या वादी उक्त भाग का रिक्त आधिपत्य प्राप्त होने तक 1000/— रुपये प्रतिमाह के हिसाब से राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
5.	क्या प्रस्तुत वाद से संयोजन का दोष है ?	प्रमाणित नहीं।
6.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 35 के अनुसार प्रदत्त किया गया।

—सकारण निष्कर्षः—

**वाद क्रमांक—1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्षः—**

07— वादी के अभिवचनों के अनुसार विवादित दुकानें उसके भवन क्रमांक 28 स्थित मुगावली राजघाट चंदेरी का भाग हैं, जिनमें प्रतिवादीगण वादी के किराये दार हैं, वादी के अनुसार विवादित दुकानें प्रतिवादीगण ने जनवरी 2014 में वादी से मोखिक रूप से किराये पर ली थी, जिनमें वादपत्र के साथ संलग्न नक्शों में अ,ब,स,द से चिह्नित दुकान 500 रुपये प्रतिमाह त,थ,द,ध से चिह्नित दुकान 1000 रुपये प्रतिमाह प्रतिवादी क्रमांक—1 ने किराये पर ली थी तथा प,फ,भ,म से चिह्नित दुकान प्रतिवादी क्रमांक—2 ने 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक किराये पर ली थी। वादी के अनुसार इससे पूर्व भी प्रतिवादीगण ने वादी के पिता से एवं वादी से कई बार मोखिक रूप से एवं किरायेनामा निष्पादित कर दुकानें किराये पर ली और खाली भी की थीं। उपरोक्त अभिवचनों के समर्थन में वादी राद्यवेन्द्र (व0सा0—1) ने स्वयं के सशपथ कथन न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

08— वादी के उपरोक्त अभिवचनों के विपरीत प्रतिवादीगण का अपने अभिवचनों में यह कहना है कि वह वादी के किरायेदार नहीं है और न ही उन्होंने वादी से या उसके पिता से कभी विवादित दुकानें किराये पर ली हैं। प्रतिवादीगण के अनुसार विवादित दुकानें सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर भूमि पर स्थित हैं जो कि शासकीय भूमि है। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त भूमि पर 60 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण के पिता प्रेमचंद्र पुत्र रामलाल जैन ने विवादग्रस्त दुकानें निर्मित की थी, जिस पर प्रेमचंद्र पुत्र रामलाल जैन का बीस वर्षों तक

अधिपत्य रहा तथा पिछले 40 वर्षों से दिनांक 01.10.75 से प्रतिवादी क्रमांक—1 विवाद ग्रस्त दुकानों पर काबिज हैं। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी ने फर्जी किरायानामा तैयार किया है उक्त किरायेनामे के आधार पर नगरपालिका चंदेरी में फर्जी किरायानामा तैयार कर फर्जी नक्शा प्रस्तुत कर शासकीय भूमि पर स्थित विवाद ग्रस्त दुकानों को अपने भवन में सम्मिलित कर हड़पने का षडयंत्र किया है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा थाने पर की गयी शिकायत की प्रति प्रदर्श—पी 1 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में प्रतिवादी सुमत कुमार जैन (प्र0सा0—1) अशोक कुमार जैन (प्र0सा0—2) एवं साक्षी मुन्नालाल (प्र0सा0—3) के सशपथ कथन न्यायालय में प्रस्तुत कर उनका परीक्षण कराया गया।

09— वादी तथा प्रतिवादीगण के अभिवचनों से यह तो स्पष्ट होता है कि वादी विवादित दुकानें राजघाट चंदेरी रोड स्थित अपने स्वत्व के भवन क्रमांक 28 का भाग होकर अपने आप को दुकान मालिक एवं प्रतिवादीगण को उक्त दुकानों का किरायेदार बता रहा हैं, जबकि प्रतिवादीगण विवादित दुकानों को शासकीय भूमि पर होने से वह उक्त शासकीय भूमि पर अपना विगत 60 वर्षों से अधिपत्य होना बता रहे हैं तथा वादी के विवादित दुकानों के स्वत्व से ही इन्कार कर रहे हैं। अतः मुख्य रूप से दोनों पक्षों के मध्य दुकान मालिक एवं किरायेदार के संबंध होने पर ही विवाद की स्थिति है। दोनों पक्षों के मध्य वास्तव में दुकान स्वामी एवं किरायेदार के रूप में संबंध थे, इस पर निष्कर्ष दिये जाने से पूर्व सुविधा की दृष्टि से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि विवादग्रस्त दुकानें जिस भूमि पर स्थित हैं या उक्त दुकानें जिस भवन का भाग हैं। वादी द्वारा कथित हैं। वह वास्तव में वादी के एवं उसके भाई ब्रजेंद्र, उपेंद्र व त्रिपुरारी एवं मां कमला बाई के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य का है अथवा नहीं।

10— प्रतिवादीगण के अनुसार विवादित दुकानें उनके पिता के द्वारा शासकीय भूमि में 60 वर्ष पूर्व निर्मित की गयी थी, तथा उक्त शासकीय भूमि का सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर इस संबंध में प्रतिवादी सुमत कुमार जैन (प्र0सा0—1) के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि विवादित दुकानें सर्वे क्रमांक 459 पर बनी हैं, जिनका निर्माण उसके पिता ने सन् 1947—48 में कराया था और 1975 से वह स्वयं दुकान पर बैठ रहा है तथा उससे पहले उसके पिता दुकान पर बैठते थे। इसी प्रकार अशोक कुमार जैन (प्र0सा0—2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में विवादित दुकानें जिस भूमि पर स्थित हैं, उसका सर्वे क्रमांक स्पष्ट करने में असमर्थता व्यक्त की हैं परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 10 में यह स्पष्ट किया है कि जिस जगह का विवाद

चल रहा है वो सरकारी भूमि है तथा शुरू से अपने पिता को विवादित दुकानों पर बैठा देखता आ रहा हैं तथा इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्पष्ट कहना है कि सन् 1975 से उसके भाई का अकेले का विवादित दुकानों पर कब्जा हैं।

- 11— विवादित दुकानें जिस भूमि पर स्थित है वो सर्वे क्रमांक 459 का भाग हैं, इस तथ्य को स्वयं वादी राघवेंद्र शरण (व0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में स्वीकार किया हैं। यह साक्षी विवादित सर्वे क्रमांक 459 पर अपना स्वामित्व विक्रयपत्र के आधार पर बता रहा है, जिसे छोटी दुल्हैया उसके पक्ष में निष्पादित किया जाना बताया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में यह स्वीकार किया है कि इस भूमि पर उसके पिता के समय पर अतिक्रमण का केस चला था तथा राजस्व अभिलेखों में कई अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध इसी भूमि के संबंध में अतिक्रमण का केस चला था इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह स्वीकार किया है कि संबत् 2047—48 में उक्त भूमि नजुल दर्ज रही है तथा आज भी उक्त भूमि नजुल दर्ज है।
- 12— अतः वादी राघवेंद्र शरण (व0सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से यह तो स्पष्ट होता है कि वादी स्वयं यह स्वीकार करता है कि विवादित दुकानें जिस भूमि पर स्थित हैं उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर भूमि हैं, जो कि पूर्व में भी शासकीय नजुल की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि नजुल दर्ज है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में वर्ष 2013—14 के खसरे की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—डी 6 एवं संबत् 2013 के खसरे की सत्यप्रतिलिपि प्रडी 8 व संबत् 2014 के अक्श नक्शों की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—डी 7 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर भूमि जिस पर विवादित दुकानें एवं वादी का मकान हैं, वह शासकीय भूमि पर है।
- 13— वादी राघवेंद्र शरण (व0सा0—1) ने भूमि सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर पर अपने स्वामित्व का स्रोत छोटी दुल्हैया द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रयपत्र अपने कथनों में बताया हैं तथा उक्त तथाकथित विक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी 12 प्रकरण में प्रस्तुत की है। वादी अपने न्यायालीन कथनों में उक्त विवादित भूमि को पूर्व में शासकीय होना स्वीकार करता है तथा उक्त भूमि के संबंध में स्वयं के विरुद्ध एवं अन्य लोगों के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण चलना भी स्वीकार करता है, परन्तु वादी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में ही कहना है कि उक्त प्रकरण

में तहसीलदार ने उसका अतिक्रमण नहीं मना था। वादी की ओर से अपने समर्थन में प्रदर्श पी 13 के तहसीलदार चंदेरी के द्वारा प्रकरण में 2175/अ-68/94-95 में पारित आदेश दिनांक 20.03.05 की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की है। जिसमें तहसीलदार ने सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर पर वादी का अतिक्रमण नहीं माना था और उक्त अतिक्रमण न मानने का आधार प्रदर्श पी 12 का विक्रयपत्र एवं प्रदर्श पी 14 की नजुल द्वारा दी गयी N.O.C है।

14— अतः यह देखा जाना है कि विक्रयपत्र प्रदर्श-पी 12 तहसीलदार के आदेश प्रदर्श पी 13 एवं नजुल के द्वारा दी गयी एनओसी प्रदर्श-पी 14 से वादी को विवादित भूमि पर जिस पर दुकानें स्थित हैं स्वत्व के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर शासकीय भूमि थी इसे स्वयं वादी ने भी अपने परीक्षण में भी स्वीकार किया है तथा उक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज है, इस बात को भी वादी ने स्वीकार किया है तथा इसकी पुष्टि प्रतिवादीगण की ओर प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के खसरों की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-डी 6 से भी होती है। अतः यदि तहसीलदार के द्वारा विवादित भूमि पर वादी का अतिक्रमण नहीं माना गया था, तो उक्त भूमि पर आज दिनांक तक वादी का बतौर भूमि स्वामी नाम क्यों दर्ज नहीं हुआ इसका कोई स्पष्टीकरण वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्व अधिकारी को किसी भी भूमि पर स्वत्व की घोषणा का अधिकार नहीं होता है और यदि ऐसी को घोषण की गयी है, तो वह व्यवहार न्यायालय पर बंधनकारी नहीं है।

15— वादी के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि छोटी दुल्हैया के द्वारा सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर का विक्रयपत्र उसके पक्ष में निष्पादित किया गया था जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी 12 वादी की ओर से प्रकरण में विवादित भूमि पर अपना स्वत्व स्थापित करने के लिये प्रस्तुत की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श-पी 12 का दस्तावेज मूल विक्रय-पत्र न होकर विक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि हैं। विधि इस संबंध में सुस्थापित है कि विक्रयपत्र लोक दस्तावेज नहीं होते बल्कि प्रायवेट दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं और ऐसे दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य द्वारा अर्थात् मूल विक्रय-पत्र प्रस्तुत करके ही साबित किया जा सकता है जिसके विकल्प के रूप में पक्षकार को द्वितीय साक्ष्य देने के लिये धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान में वर्णित परिस्थितियां साबित करनी होती हैं।

16— इस प्रकरण में वादी की ओर से प्रदर्श-पी 12 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की

गयी है, परन्तु उक्त सत्यप्रतिलिपि द्वितीय साक्ष्य के रूप में पढ़े जाने के लिये धारा 65 के कोई आधार स्थापित नहीं किये गये। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि विक्रयपत्र लोक दस्तावेज नहीं होता है, इसलिए धारा 77 साक्ष्य अधिनियम के तहत ऐसे विक्रयपत्रों को उनकी सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत कर साबित भी नहीं किया जा सकता है। कोई प्रायवेट मूल दस्तावेज मात्र किसी शासकीय अभिलेख का भाग होने से या किसी शासकीय अभिलेख में संलग्न होने से लोक दस्तावेज नहीं बनता है। अतः ऐसे में विक्रयपत्र प्रदर्श-पी 12 लोक दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि के रूप में साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य दस्तावेज नहीं है। वादी को मूल विक्रयपत्र प्रस्तुत कर उसे साबित करना था, या धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रदर्श-पी 12 को द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किये जाने के लिये आधार स्थापित करने थे, जो वादी के द्वारा नहीं किये गये। अतः ऐसे में प्रदर्श-पी 12 के दस्तावेज को विधिवत् वादी के द्वारा साबित नहीं किया गया जो वादी के विवादित भूमि पर स्वत्व का प्रमाण है।

17— वादी की ओर से प्रस्तुत तथा कथित विक्रयपत्र प्रदर्श-पी 12 के आधार पर वादी का राजस्व अभिलेखों में अब तक कोई नामात्रण स्वीकार नहीं हुआ है जबकि उक्त विक्रयपत्र भू राजस्व संहिता लागू होने से पहले का है। विवादित भूमि पूर्व में छोटी दुल्हैया के स्वामित्व की थी, ऐसा भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। अतः ऐसे में तहसीलदार के द्वारा पारित किया गया आदेश प्रदर्श-पी 13 से वादी को भी विवादित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। राघवेंद्र शरण (व0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श-पी 12 के विक्रयपत्र के आधार पर ही उसने न्यायालय में स्वत्व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें पारित निर्णय के विरुद्ध मुंगावली में अपील भी की थी तथा उक्त अपील में माननीय अपीलीय न्यायालय में विक्रयपत्र प्रदर्श-पी 12 को अवैध मानते हुये उसकी अपील भी निरस्त की है। अतः अपीलीय न्यायालय के द्वारा विक्रयपत्र प्रदर्श-पी 12 को अवैध मानने के बाद एवं उक्त निर्णय अंतिम हो जाने के बाद भी वादी को प्रदर्श-पी 12 के दस्तावेज से विवादित भूमि पर कोई अधिकार अर्जित नहीं होते हैं।

18— वादी राघवेंद्र शरण (व0सा0—1) की ओर से प्रकरण में प्रदर्श पी 15 का नगरपालिका परिषद चंदेरी के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रकरण में प्रस्तुत किया है, जो कि भवन क्रमांक 28 पर नगरपालिका कर निर्धारण पंजी में वादी सहित उसके भाई एवं मां का नाम दर्ज होने का उल्लेख करता है। उक्त दस्तावेज न तो किसी लोक दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि है और न ही उसे संबंधित लेखक के द्वारा तलब कर उसे प्रमाणित किया गया। चूंकि



प्रतिवादीगण की ओर से भी इस संबंध में प्रदर्श—डी 3 व प्रदर्श—डी 4 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, तथा प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में भी भवन क्रमांक 28 पर वादी तथा उसके परिवार के लोगों का नामांतरण स्वीकार भी किया है जिससे यह विवादित नहीं रह जाता है कि भवन क्रमांक 28 नगरपालिका परिषद चंदेरी के कर निर्धारण पंजी में वादी तथा उसके भाई तथा मां का नाम दर्ज है।

19— विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि कोई नामांतरण कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व के कोई आधार प्रदान नहीं करती हैं। नगरपालिका के कर निर्धारण पंजी में किसी व्यक्ति के नाम का इंड्राज होना मात्र उसके कब्जे का घोटक हो सकता है, जो कि कर की वसूली के प्रयोजन से देखा जा सकता है परन्तु कर निर्धारण पंजी में किसी भवन व भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम का इंड्राज होना उसके स्वामित्व का कोई प्रमाण नहीं होता है। कर निर्धारण पंजी में भवन क्रमांक—28 पर वादी के नाम का इंड्राज भले ही है, परन्तु उक्त भवन शासकीय भूमि पर है यह अभिलेख पर प्रस्तुत राजस्व खसरो से प्रमाणित है। उक्त शासकीय भूमि पर वादी अपने स्वत्व का प्रमाण भी साबित नहीं कर सका। अतः ऐसे में जिस भूमि पर वादी अपना भवन होना बता रहा है विवादित दुकानें उक्त भवन का भाग हैं तथा वादी उक्त दुकानों का स्वामि हैं यह भी अभिलेख पर आयी साक्ष्य से साबित नहीं होता है तथा विवादित दुकानें भी सर्वे क्रमांक 459 पर अतिक्रमण कर बनायी गयी प्रतीत होती हैं।

20— विवादित दुकानें शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 459 पर स्थित हैं यह अभिलेख पर आयी साक्ष्य से प्रमाणित है तथा इस पर दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद की स्थिति भी नहीं है। वादी का यह कहना है कि उक्त दुकानें वादी ने तथा उसके पिता ने पूर्व में भी कई बार प्रतिवादीगण को किराये पर दी हैं जबकि प्रतिवादीगण का कहना है कि वह वादी के किराये दार नहीं है बल्कि उनके पिता ने शासकीय भूमि पर उक्त दुकानों का निर्माण किया है। वादी तथा उसके पिता ने प्रतिवादीगण को दुकानें कब कब किराये पर दी तथा कब कब प्रतिवादीगण ने उक्त दुकानें खाली की थी, ऐसी कोई अवधि का उल्लेख वादी ने अपने दावे में नहीं किया है।

21— वादी स्वयं जनवरी 2014 से पूर्व कई बार प्रतिवादीगण को दुकानें किराये पर देने के संबंध में अभिवचन करता हैं, परन्तु वह स्वयं ही अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 15 में उपरोक्त अभिवचनों के विपरीत यह कहता है कि जनवरी 2014 के पहले प्रतिवादीगण ने उससे कभी न तो दुकाने किराये पर ली और न ही उसके पक्ष में किरायानामा लिखा। जनवरी 2014 में मोखिक रूप से

प्रतिवादीगण को दुकानें किराये पर दिया जाना वादी कहता है तथा एक दुकान का बिल स्वयं के नाम पर भी होना बताता है परन्तु इस आशय का कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है वादी की ओर से जनवरी 2014 के बाद प्रतिवादीगण की किरायेदारी प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। जब के इसके विपरीत प्रतिवादीगण की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है उनका अपने के पिता के समय से निरंतर विवादित दुकानों पर कब्जा चला रहा है। सुमत कुमार जैन (प्र0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसकी दुकान के बिजली के कनेक्शन अशोक कुमार (प्र0सा0-2) के नाम पर है तथा तीनों दुकानों में मीटर भी अशोक कुमार (प्र0सा0-2) के नाम पर हैं, जिसे स्वयं अशोक कुमार (प्र0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 12 में स्वीकार किया है।

22— वादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि समय समय पर प्रतिवादीगण के द्वारा दुकान पर किराये पर लेने के बाद दुकानें खाली कर देना दर्शित करती हो। जबकि प्रतिवादीगण के बिजली के कनेक्शन के संबंध में स्वयं अशोक कुमार (प्र0सा0-2) का कहना है कि उक्त कनेक्शन 1980 के हैं जिसका बिल प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श-डी 5 के रूप में प्रकरण में प्रस्तुत किया है, जिसका कोई खण्डन वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है।

23— वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण की पूर्व की किरायेदारी साबित करने के लिये प्रदर्श-पी 1, 2 व 3 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जो कि वादी के द्वारा दुकान के किरायेनामा प्रतिवादी सुमत कुमार जैन (प्र0सा0-1) के द्वारा निष्पादित किया जाना बताये गये हैं। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि उक्त किरायानामा वादी ने फर्जी तैयार किये हैं। प्रदर्श-पी 1, 2 व 3 के दस्तावेजों को यदि देखा जाये तो उक्त दस्तावेज के द्वारा विधिवत् साबित नहीं किये गये हैं। राघवेंद्र शरण (व0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 12 में स्वयं यह बताने की स्थिति में नहीं है कि किरायानामा किसकी हस्तलिपि में हैं। उक्त दस्तावेज पर साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं हैं दस्तावेजों में राकेश कुमार श्रीवास्तव का उल्लेख है, परन्तु वादी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में राकेश कुमार श्रीवास्तव के संबंध में यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उसकी आयु कितनी है तथा वह वादी से कितना छोटा है। प्रदर्श-पी 1, 2 व 3 को पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त दस्तावेज दुकान के संबंध में लिखे गये हैं या मकान के संबंध में। उक्त दस्तावेजों में भवन क्रमांक तक का उल्लेख नहीं है जिसके अंदर विवादित दुकानें होना बताया गया है। किसी अनुबंध के लिये दो पक्षकार अनुबंधकर्ता एवं अनुबंध ग्रहिता

आवश्यक होते हैं, परन्तु प्रदर्श-पी 1, 2 व 3 में अनुबंधकर्ता के हस्ताक्षर तक नहीं हैं।

24— विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि किसी दस्तावेज को प्रकरण में प्रस्तुत कर देने से या उस पर प्रदर्श अंकित हो जाने से वह साबित नहीं होता है। दस्तावेज को विधि की अपेक्षा के अनुरूप साबित करना होता है। प्रदर्श पी 1, 2 व 3 के दस्तावेज दुकानों के संबंध में लिखे गये या मकान के संबंध में लिखे गये, यही स्पष्ट नहीं करते हैं तथा उक्त दस्तावेज किसके द्वारा व किसकी हस्तलिपि में लिखे गये यह भी वादी के द्वारा साबित नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सुमत कुमार जैन (प्र0सा0—1) के द्वारा वादी या वादी के पिता से पूर्व में विवादित दुकानों के संबंध में प्रदर्श-पी 1, 2 व 3 का किरायानामा निष्पादित किया गया एवं दुकानें किराये पर ली गयी, यह अभिलेख पर आयी साक्ष्य से साबित नहीं होता है।

25— अभिलेख पर आयी साक्ष्य से एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि विवादित दुकानें जिस भूमि पर स्थित हैं उक्त भूमि व दुकानें वादी के स्वामित्व की नहीं हैं। वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया है कि निष्कासन के वादों में स्वत्व साबित किया जाना आवश्यक नहीं है उनके द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 बी में परिभाषित भूमि स्वामी शब्द की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है। मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 बी के अनुसार “**भूमि स्वामी**” से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान का भाडा चाहे अथवा अपने स्वयं के लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे या उसकी ओर से या उसके फायदे के लिये या किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी, संरक्षक या रिसीवर की हैसियत से तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार हैं या किसी अभिधारी को वह स्थान भाडे पर दे दिये जाने की दशा में भाडा इस प्रकार प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति आता जो अभिधारी न होते हुये समय-समय पर किसी भूमि स्वामी के अधीन हक प्राप्त करे।

26— मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 बी में परिभाषित भूमि स्वामी शब्द की व्याख्या से निश्चित रूप से यह प्रकट होता है कि उक्त अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को भूमि स्वामी मानने के लिये उसे भवन का या भूमि का स्वत्व धारी होना आवश्यक नहीं है तथा उक्त अधिनियम में स्वत्व का प्रश्न विचारणीय अधिकांशतः नहीं होता है, परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में तहसील चंदेरी का उल्लेख नहीं है और न ही वर्तमान में राज्य सरकार ऐसी कोई अधिसूचना है,

जिससे उक्त अधिनियम का विस्तार तहसील चंदेरी तक के क्षेत्र में किया गया हों। अतः स्पष्ट है कि चंदेरी क्षेत्र में मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता है तथा भवन स्वामी एवं किरायेदारी से उपजे विवादों के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

27— मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान चूंकि चंदेरी क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं, इसलिए उक्त अधिनियम में परिभाषित भूमि स्वामी शब्द का विस्तार एवं परिभाषा के प्रकाश में वादी की स्थिति को इस प्रकरण में नहीं देखा जाना है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा-7 में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन व्यक्ति अंतरण करने के लिये सक्षम हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दो तरह के व्यक्तियों को संपत्ति अंतरित करने के लिये सक्षम माना गया है, जो निम्न हैं—

01:— हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिये सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार है

02:— ऐसा व्यक्ति जिसकी अंतरणीय संपत्ति अपनी नहीं है, परन्तु वह उसके व्ययन के लिये प्राधिकृत हो।

28— अतः उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में वादी की स्थिति देखी जा सकती है सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि वादी ने या उसके पिता ने विवादित दुकानें प्रतिवादीगण को किराये पर दी थीं या वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण के किरायेदार हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को दृष्टिगत रखते हुये यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि प्रतिवादीगण ने वादीगण से दुकानें किराये पर प्राप्त की थी, तो सर्वप्रथम प्रतिवादीगण के निष्कासन के लिये वादी की दुकानें अंतरित करने की सक्षमता की जांच संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के प्रकाश में की जाना आवश्यक है।

29— विवादित दुकानें सर्वे क्रमांक 459 रक्बा 0.159 हैक्टेयर भूमि का भाग हैं, यह प्रकरण में विवादित नहीं हैं तथा उक्त भूमि शासकीय भूमि हैं, जिस पर वादी के स्वत्व अभिलेख पर आयी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हैं। वादी भले ही संविदा करने के लिये सक्षम हो परन्तु उसके साथ अंतरित की जाने वाली संपत्ति का वह हकदार होना संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के तहत आवश्यक हैं। विवादित भूमि शासकीय भूमि होने से उक्त भूमि में वादी को कोई अधिकार किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा या शासन द्वारा दिये गये, यह वादी साबित नहीं कर सका। अतः उक्त भूमि का वादी हकदार होना साबित नहीं है। उक्त भूमि शासकीय भूमि थी, अतः उक्त भूमि के व्ययन के लिये वादी को शासन द्वारा अथवा सक्षम न्यायालय प्राधिकृत किया गया, यह साबित

करने के लिये भी वादी की ओर से अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

30— अतः उपरोक्त आधार पर यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विवादित दुकानें वादी ने शासकीय भूमि पर निर्मित कर प्रतिवादीगण को किराये पर दी थी, तो वादी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के तहत उक्त दुकानों को अंतरित करने के लिये प्रारंभ से ही सक्षम नहीं था और यदि ऐसा कोई संव्यवहार मान भी लिया जावे तो वह प्रारंभ से ही शून्य हैं जिससे वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध निष्कासन के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को दिये गये सूचना पत्र प्रदर्श पी 4 व 6 जिनको प्रेषित करने की रसीद प्रपी 5 व 7 प्रकरण में प्रस्तुत की गयी हैं एवं थाने पर अवैध निर्माण के संबंध में की गयी शिकायत प्रपी 8 जिसको प्रेषित करने की डाक रसीद प्रपी 9, अदम वापस प्राप्त रजिस्टर ए0डी0 लिफफा प्रपी 11 आदि दस्तावेजों से आदि दस्तावेजों से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

31— वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया है कि भले ही विवादित दुकानें शासकीय भूमि पर निर्मित होना प्रमाणित होता हो, परन्तु किरायेदारी के प्रचलित रहते प्रतिवादीगण, विवादित दुकानों पर वादी के स्वत्व से इन्कान नहीं कर सकते हैं। उनके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के प्रावधान का हवाला देते हुये व्यक्त किया गया है कि किसी अचल संपत्ति के किरायेदार किरायेदारी के प्रचलित रहते संपत्ति के भूस्वामी के हक या हित को इन्कार नहीं कर सकता है। वादी की ओर से उपरोक्त तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत "भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के अनुसार किसी अचल संपत्ति का किरायेदार के प्रचलित रहते संपत्ति के भू-स्वामी के हक व हित को इन्कार नहीं कर सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत महिला समिति बनाम होलाराम सिंधी 2006 (2) एम0पी0 व्हीकली नोट 32, जेहार बाई बनाम जगमोहन अरोरा 2000 (2) एम0पी0 व्हीकली नोट 142, राजकुमार गुप्ता बनाम बृजेश कुर 1985 जे0एल0जे0 621, दीनदयाल बनाम सीताराम, 1983 व्हीकली नोट 175, गांधी आश्रम बनाम हरि प्रसाद अग्रवाल 2001 (1) एम0पी0 व्हीकली नोट 13, सरदार मंहगा सिंह बनाम पी0डी0 दास 1992 (2) एम0पी0 व्हीकली नोट 173 भी अवलोकनीय है। उक्त उपबंध के अनुसार प्रतिवादी किरायेदारी की संपत्ति के संबंध में वादी के स्वत्व, हित व अधिकारों को प्रश्नगत नहीं कर सकता है। वह यह नहीं कह सकता है कि वादी किरायेदारी के स्थान का स्वत्वधारी या भूस्वामी नहीं है। इस प्रकार उक्त उपबन्ध के अनुसार भी इस प्रकरण में केवल किरायेदारी का तथ्य ही विचारणीय है, वादी के स्वत्व का प्रश्न विचारणीय नहीं है" का हवाला दिया

गया।

32— उपरोक्त सभी सम्माननीय न्यायदृष्टांतों का अध्ययन उपरांत निश्चित रूप से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के अनुसार किरायेदारी के प्रचलित रहते संपत्ति के भूस्वामी स्वत्व को चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 का विबंध किरायेदार पर तब लागू होता है जब मालिक और किरायेदार के संबंध स्थापित हो गये हो या स्वीकृत हो गये हों। किरायेदार द्वारा किसी व्यक्ति से किराये पर कोई परिसर लिये जाने के बाद निश्चित रूप से वह उसके स्वत्व को चुनौती नहीं दे सकता है, परन्तु जहां प्रारंभ से यह विवाद हो कि कोई किरायेदारी नहीं हुयी तथा दुकानों पर प्रतिवादीगण का स्वतंत्र कब्जा है, और वादी विवादित दुकानों को अपने स्वत्व की बता रहा है। वहां स्वत्व का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है और ऐसी स्थिति में किरायेदार पर धारा 116 साक्ष्य अधिनियम का विबंध लागू नहीं होता है अतः उपरोक्त आधार पर वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है।

33— विवादित दुकानें जिस भूमि पर स्थित हैं वो शासकीय भूमि हैं, जिससे उक्त शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानें अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं। उक्त शासकीय भूमि पर वादी के स्वत्व का कोई ठोस प्रमाण वादी साबित करने में सफल नहीं हुआ तथा उक्त विवादित दुकानों को वादी तथा उसके पिता के द्वारा पूर्व में तथा जनवरी 2014 से वादी के द्वारा मौखिक अनुबंध के आधार पर प्रतिवादीगण को विवादित दुकानें किराये पर दिया जाना साबित नहीं होता है। वादी धारा 7 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत भी शासकीय भूमि के किसी भी भाग को अंतरित करने के लिये सक्षम नहीं हैं। अतः ऐसे में वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य दुकान मालिक एवं किरायेदार के संबंध स्थापित नहीं होते हैं और चूंकि प्रतिवादीगण के द्वारा वादी से या उसके पिता से विवादित दुकानें किराये पर लिया जाना साबित नहीं हैं, इसलिए वादी प्रतिवादीगण से न तो विवादित दुकानों पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रखता है और न ही उक्त दुकानों के संबंध में किराये के रूप में कोई राशि ही प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 व 4 प्रमाणित न होने से उनका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद क्रमांक—5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

34— प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण की ओर से यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि

शासन को वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है तथा धारा 80 C.P.C का सूचना पत्र दिये बिना यह वाद प्रस्तुत किया है, जिससे दावे में असंयोजन का दोष है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत की गयी उपरोक्त आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। प्रकरण में कृषि भूमि विवादित न होकर नगरपालिका क्षेत्र की दुकानों के संबंध में विवाद हैं, तथा वादी के द्वारा शासन से कोई सहायता नहीं चाही गयी है। निष्कासन के वाद में तथाकथित किरायेदार प्रमुख पक्षकार होता है ऐसे वादों में शासन आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अतः दावे में असंयोजन का दोष होना प्रमाणित नहीं हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 5 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

### वाद क्रमांक-6 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

#### सहायता एवं वाद व्यय-

35- वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:- यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:- वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:- अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

